न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प कोर्ट गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 15/2015

अपीलांटस	बनाम	रेस्पोडेंटस
रूपाराम पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी लाला की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. पूनमाराम पुत्र डालूराम 2. जोगाराम पुत्र डालूराम 3. खेमाराम पुत्र डालूराम 4. खेताराम पुत्र पदमाराम 5. तिलोकाराम पुत्र पदमाराम 6. भूराराम पुत्र पदमाराम 7. बाबूराम पुत्र पदमाराम 8. माडूदेवी पत्नी पदमाराम जति जाट निवासी लाला की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 9. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 12.6.2015 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

उपस्थित– 1. अपीलांटस मय अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 व 03 से 07 उपस्थित
3. रेस्पोंडेंट संख्या 08 अनुपस्थित।

आदेश दिनांक 22.6.2016

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 454 रकबा 25.10 बीघा, खसरा नंबर 475 रकबा 25.07 बीघा कुल रकबा 50.17 बीघा मौजा लाला की बेरी मे खसरा नंबर 310 रकबा 02.12 बीघा, खसरा नंबर 312 रकबा 30.05 बीघा पटवार मण्डल बाण्ड तहसील गुड़ामालानी में तथा खड़ियाली नाडी पटवार क्षैत्र में खसरा नंबर 505 रकबा 26.18

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

बीघा व मौजा राणासर खुर्द में खसरा नंबर 121 रकबा 02.06 बीघा तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है ज़ो अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 को विरासत मे प्राप्त हुई है। पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 01 से 08 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने एवं पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने हेतु पटवारियों से मिलकर प्रस्ताव मौके पर कब्जा अनुसार पटवार क्षेत्रवार अलग–अलग तैयार करवाये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने पटवारी हल्का बाण्ड को प्रभावित करते हुए विभाजन हेतु पूर्व में तैयार नक्शे को बदलते हुए अपीलांट व रेस्पोडेंटस के नक्शे पर दोबारा हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करवाये गये। इस समस्त कार्यवाही का अलीपांट को ज्ञान नहीं होने दिया गया तथा विभाजनं आवेदन पत्र न्याय आपके द्वार अभियान- 2015 के तहत तहसीलदार से पारित करवाा दिया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प गुड़ामालानी में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 03 से 07 उपस्थित रहे।

3. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि खसरा नंबर 454 रक़बा 25.10 बीघा, खसरा नंबर 475 रकबा 25.07 बीघा कुमल रकबा 50.17 बीघा मौजा लाला की बेरी मे खसरा नंबर 310 रकबा 02.12 बीघा, खसरा नंबर 312 रकबा 30.05 बीघा पटवार मण्डल बाण्ड तहसील गुड़ामालानी में तथा खड़ियाली नाडी पटवार क्षैत्र में खसरा नंबर 505 रकबा 26.18 बीघा व मौजा राणासर खुर्द में खसरा नंबर 121 रकबा 02.06 बीघा तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है इसी आराजी को पक्षकार आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर काश्त करते आ रहे है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 की भूमि दो पटवार क्षेत्र बाण्ड व राणासर खुर्द में स्थित है, ऐसी स्थिति विभाजन प्रस्ताव भी दो अलग–अलग तैयार करवाये गये थे परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 ने पटवारी

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

हल्का बाण्ड से मिलीभगत कर दोनो पटवार क्षेत्रों का एक ही आवेदन पटवारी बाण्ड द्वारा तैयार किया गया एवं इसकी जांच भी पटवारी बाण्ड द्वारा की गई, पटवारी राणासरखुर्द के हस्ताक्षर कहीं भी नहीं है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 08 के मध्य पूर्व में हुए बाहामी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है, जिससे अपीलांट की ढाणी, बाड़े आदि रेस्पोडेंटस के कब्जे में चले गये है। इसप्रकार दोनो पटवार क्षेत्र का एक ही आवेदन के द्वारा गलत रूप से विभाजन करवाया गया है, जो राजस्व नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। सर्वप्रथम अपीलान्ट को इस विभाजन आदेश का दिनांक 14.07.2015 को वास्तविक ज्ञान हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की है। पक्षकारान लोक अदालत में इस प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। इसलिये लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंटस संख्या 01 एवं 03 से 07 द्वारा जाहिर किया कि विभाजन आदेश सभी पक्षकारान की सहमति से किया गया था। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि पूर्व में जो बंटवाड़ा किया गया था, वह मौके पर कब्जे काश्त के विपरीत किया गया था जिसको निरस्त करवाने में हम सभी पक्षकारान पूर्ण रूप से सहमत है। इसलिये मामला पुनः भौतिक कब्जा काश्त अनुसार रिमाण्ड किया जाता है, तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

5. हमने अपीलांटस अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंटस 01 एवं 03 से 07 की बहस पर पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 12.06.2015 को स्वीकृत करने के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस की पैतृक भूमि खसरा नंबर 454 रकबा 25.10 बीघा, खसरा नंबर 475 रकबा 25.07 बीघा कुमल रकबा 50.17 बीघा मौजा लाला की बेरी मे खसरा नंबर 310 रकबा 02.12 बीघा, खसरा नंबर 312 रकबा 30.05 बीघा पटवार मण्डल बाण्ड तहसील गुड़ामालानी में तथा खड़ियाली नाडी पटवार क्षेत्र में खसरा नंबर 505 रकबा 26.18 बीघा व मौजा राणासर खुर्द में खसरा नंबर 121 रकबा 02.06 बीघा तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त के अनुसार नहीं है। पक्षकारान द्वारा अपील में अंकित तथ्यों एवं लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है, उसी अनुसार पक्षकारान ने मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा करने की सहमति जाहिर की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2015 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नाई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले कोर्ट केम्प गुड़ामालानी में आज दिनांक 22.6.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)